संख्या- 96/2015/404/22-4-15-13जी/11टीसी

प्रेषक,

आर0 के0 द्विवेदी

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं

उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 **लखनऊ दिनांक- 31 मार्च, 2015**

विषय- कारागारों/जनपद न्यायालयों वीडियो कान्फ्रेसिंग इकाईयों की स्थापना कराये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि का अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-11821/आधु0-1/वीडियो कान्फ्रेसिंग/2015, दिनांक-29 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वीडियो कान्फेसिंग कार्ययोजना के द्वितीय चरण में 115 इकाईयों की स्थापना हेतु उपकरणों के क्रय एवं एन0आई0सी0 के माध्यम से कनेक्टिविटी कराने हेतु शासनादेश संख्या-93/2015/221/22-4-15-13जी/11टीसी, दिनांक 29 मार्च, 2015 द्वारा रू0 5,63,30,219/- की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसे निक्सी को उपलब्ध कराया जाना है।

2- अतः सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय वीडियो कान्फेसिंग कार्ययोजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग की 115 इकाईयों हेतु उपकरणों के क्रय/कनेक्टिविटी के लिए स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 5,63,30,219/-(रूपया पॉच करोड़ तिरसठ लाख तीस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) निक्सी नई दिल्ली को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराने हेतु अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/-69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तो/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उक्त धनराशि का समायोजना निर्धारित समयावधि के अन्दर कर लिया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो उसके लिए आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की आशासकीय संख्या- एफ0ए0-1-126/दस-2015, दिनांक-31.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

संख्या- 96/2015/404(1)/22-4-2015-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) महाप्रबंधक, नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर, सर्विसेज इंक, हाल नं0-2 एण्ड छठवां तल एन0बी0सी0सी0 टावर, भीखा जी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-66

(4) मुख्य महाप्रबंधक, दूरसंचार, उ0प्र0 पूर्वी परिमण्डल(इन्टर प्राइज बिजनेस इकाई) भोपाल हाउस, लालबाग, लखनऊ।

(5) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0द्विवेदी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in